

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना
(सकारण आदेश)

अ0स0 :-2/अ0प्र0-2-50/2014 **2401** /पटना, दिनांक :- 10/11/23

श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-14/13 दिनांक 29.05.2013 धारा-13(2) सह-पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0-1988 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2596 सह-पठित ज्ञापांक-2597 दिनांक 06.08.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(i)(ग) के तहत निलंबित कर दिया गया। साथ ही श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक-2598 अनु0 दिनांक 06.08.2014 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय के ज्ञापांक-606 दिनांक 10.12.2014 द्वारा प्रश्नगत मामले में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अभिलेख, अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया।

2. श्री शर्मा के विरुद्ध दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-14/13 दिनांक 29.05.2013 धारा-13(2) सह-पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0-1988 के आलोक में विधि विभाग के आदेश संख्या 186 दिनांक 07.09.2016 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध दर्ज उक्त आर्थिक अपराध थाना कांड के आलोक में धारा-13(2) सह-पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0-1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश निगरानी-1, पटना के न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 23/16 दिनांक 26.12.2016 समर्पित कर दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक 1515 अनु0 दिनांक 21.11.2017 के माध्यम से प्राप्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया।

4. श्री शर्मा द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर C.W.J.C. No.13515/2016 में दिनांक 07.07.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर L.P.A. No.1414/2017 में दिनांक 23.11.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना संख्या-3723-सह-पठित ज्ञापांक 3724 दिनांक 29.12.2017 द्वारा श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षा में श्री शर्मा के अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन, कृषि से प्राप्त आय, इनकी पत्नी का स्कूल से प्राप्त आय, डेयरी से प्राप्त आय के संबंध में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए असहमति के कुल पाँच बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक 297 अनु0 दिनांक 12.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 18 (2) के तहत श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में श्री शर्मा के पत्रांक कैम्प-01 दिनांक 12.06.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया।



6. श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समग्र समीक्षोपरांत यह पाया गया कि असहमति के प्रथम बिन्दु यथा अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन के संबंध में आरोपी के पत्नी के नाम से भूखंडो का क्रय 7-20 वर्ष पूर्व किया गया है, जबकि इनकी पत्नी के आय का ठोस साधन उक्त अवधि में उपलब्ध नहीं है तथा आयकर रिटर्न में भी इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जमीन क्रय करने के वर्ष में क्रेता का आयकर रिटर्न नहीं भरे जाने से आय का सत्यापन नहीं हो सका। फलतः क्रेता के आय का अप्रत्यानुपातिक निवेश के आलोक में समीक्षोपरान्त बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। असहमति के द्वितीय बिन्दु, श्री शर्मा की पत्नी के स्कूल से रु० 17,84,352/- का आय होना एवं स्कूल का कोई बैंक खाता नहीं होना के संबंध में श्री शर्मा यह तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि एक अंग्रेजी स्कूल किड्स गार्डन का बैंक में खाता नहीं रहने के क्या कारण हो सकते हैं। असहमति के तृतीय बिन्दु कृषि योग्य जमीन की आय से संबंधित है। श्री शर्मा के नाम कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ 3.25 डेसीमल का आधा भाग का आय इनकी पत्नी के नाम है, जबकि वर्ष 2012-13 के उनके आयकर रिटर्न में कृषि आय शून्य दिखाया गया है। ऐसे स्थिति में कृषि आय के रूप में किया गया दावा समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। असहमति के चतुर्थ बिन्दु अर्थात् डेयरी से प्राप्त आय के संबंध में श्री शर्मा द्वारा द्वितीय बचाव बयान में तर्कसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। असहमति के पांचवें बिन्दु यथा सम्पत्तियों का दोहरा मूल्यांकन के संबंध में श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जब आरोपी पति एवं उसकी पत्नी अलग-अलग आयकर रिटर्न भरते हो तो पति का संयुक्त आय माना जाना गलत है।

7. उक्त समीक्षा के आलोक में श्री शर्मा का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। इस बीच श्री शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पेंशन कटौती के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के उपरान्त अधिसूचना संख्या-328 सह-पठित ज्ञापांक-329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा शर्मा के विरुद्ध शत-प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया। अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2020 को सम्यक विचारोपरान्त आदेश ज्ञापांक-546 दिनांक 12.03.2021 द्वारा अस्वीकृत किया गया। श्री शर्मा के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में आदेश ज्ञापांक-977 दिनांक 26.05.2020 एवं आदेश ज्ञापांक-2064 दिनांक 12.12.2022 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन्हें निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

8. उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-2974/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"28. This Court, at this stage, without recording any opinion on the merit of the submission against the allegations, prima-facie finds substance in the submission that in his notes of difference, the Secretary of the Department recorded that these immovable properties were purchased showing lesser price and on the basis of government valuation but no basis for recording this finding has been mentioned in his note. Nothing was made available to the petitioner in

support of the notes of difference on this point. The Department did not produce any contemporary sale deed and no effort was taken to prove that in the year in which these properties were purchased, the properties in the neighborhood or in the boundaries of these properties were sold on a higher price. In such circumstance, the findings of the Inquiry Officer based on verified facts would become relevant and cannot be ignored by the disciplinary authority.

29. This Court finds that in paragraph 'VII', the Inquiry Officer has recorded the following findings:-

"(VII) उपरोक्त आय एवं व्यय की गणना के क्रम में निगरानी विभाग द्वारा जिस आय पर संदेह व्यक्त किया गया था, उसे निगरानी विभाग द्वारा सत्यापन कराये गये आय के समतुल्य ही माना गया है एवं अन्य आय एवं व्यय उसी को माना गया है, जिसके कागजात दिये गये हैं। डेयरी से प्राप्त आय जिसका कोई ठोस कागजात नहीं था उसे नहीं माना गया है। उनकी पत्नी के द्वारा स्कूल से प्राप्त आय के संबंध में उन्होंने छाया प्रति दाखिल की थी। इस छाया प्रति के सत्यापन के लिए आर्थिक अपराध इकाई से उनके किड्स गार्डन स्कूल से जप्त स्टूडेंट लेजर एवं कैश बुक के मूल प्रति मंगायी गयी थी ताकि श्री शर्मा द्वारा दाखिल छाया प्रति से इसका मुल्यांकन की जा सके। दिनांक 21.04. 2016 को आर्थिक अपराध इकाई से पुलिस निरीक्षक श्री महेश प्रसाद भगत स्कूल के 2011-12 एवं 2012-13 के स्टूडेंट लेजर एवं कैश बुक की मूल प्रति तथा वर्ष 2011-2012 एवं 2012-13 की रसीद बही की कार्बन कॉपियों की मूल पुस्तिका के साथ उपस्थित हुए जिनका श्री रामचन्द्र शर्मा के द्वारा दाखिल किया गया। कैश बुक की छाया प्रति प्रविष्टियों के साथ मिलान किया गया एवं सही पाया गया।"

30. A perusal of the further notes of disagreement in paragraphs (ii), (iii), (iv) and (v) would show that as regards the income from the school, the Secretary of the department has not believed the same but the Inquiry Report shows that the 'EOU' had seized certain students' ledger and cash books of the school and an Inspector of the 'EOU' had collected the original students' ledger and cash book of the year 2011-12 and 2012-13 from which the photocopies of the cash books were compared and those were found to be the same. In his notes of difference, the Secretary has not mentioned any material save and except his own assertion that he does not believe it. On the point of agriculture income, the disciplinary authority states that it is not possible to have an agriculture income of Rs. 43 lakhs from land measuring area 5 acres 3.25 decimals. On this point also the Inquiry officer has recorded that the agriculture income of the petitioner got verified by the Superintendent of Police, EOU and in verification agriculture income from the year 1989 to 2013 has been assessed at Rs. 12,44,630/-. The disciplinary authority, it seems, has not gone into the Inquiry Report and in his Endeavour to record his difference of opinion proceeded as if the Inquiry Officer has accepted the agriculture income at Rs. 43 Lakhs.

31. Similarly, even as the Inquiry Officer has not accepted any dairy income of the wife of the petitioner, the disciplinary authority has recorded in his note that the evidence produced by the wife of the petitioner as regards her dairy

income is not acceptable. He has further proceeded to observe that the Inquiry Officer has not looked into this aspect of the matter. In the opinion of this Court, this is completely a wrong observation by the Secretary of the Department because it is evident on perusal of the Inquiry Report that the Inquiry Officer has taken note of it and rejected the same.

32. The Inquiry Officer has accepted the income of the wife of the petitioner only at Rs. 65,48,612/- as against her claim of Rs. 1,01,27,667/-. If the Inquiry Officer has already rejected the claim on account of dairy income of Rs. 10,70,000/-, the Secretary of the Department had no reason to record a note of difference on this point.

33. This Court finds that the note of difference in clause (v) is with regard to the loan of Rs. 7 Lakhs advanced to his wife by the petitioner. This Court finds that Rs. 7 Lakhs has been shown as received by the wife on account of loan from her husband. This has been accepted. The impact of this transfer of Rs. 7 Lakhs to his wife would be reflecting in the account of the petitioner also. This is why the amount has been shown in the column of the expenses of the petitioner. This is double entry system.

34. This Court finds from the records that after the notes of difference was received by the petitioner, he submitted his response thereon but thereafter the matter remained pending with the disciplinary authority as the proposal sent to obtain opinion from the Commission could not proceed further in want of certain opinion from the General Administration Department. The petitioner retired from service on 31.01.2019.

35. Be that as it may, on perusal of the impugned Memo No. 329 dated 15.01.2020, it appears that after retirement of the petitioner, the proceeding was converted under the Pension Rules vide Memo No. 692 dated 19.03.2019 the petitioner was guilty and thereafter a proposal was sent for 100% forfeiture of the pension of the petitioner. At this stage, no opportunity of hearing was given to the petitioner.

36. In the present case, admittedly, the petitioner has not been served with any notice specifying the reduction proposed which was in the form of forfeiture of 100% pension and the grounds therefor but during departmental proceeding, he was given an opportunity to submit his show-cause on the notes of differences, therefore, this Court would first consider whether the impugned order has been passed after taking into consideration the show-cause of the petitioner.

37. In this connection, the letter dated 24.04.2018 (Annexure-29) and the letter dated 12.06.2018 (Annexure-30) written by the petitioner to the Officer on Special Duty, RWD are important to take note of.





38. The petitioner further wrote a letter dated 26.09.2018 (Annexure-'31') by which he requested for making available the evidences, if any, in possession of the Department based on which the notes of difference was made.

39. In the above-mentioned background when the impugned order (Annexure-'19') is looked into, this Court finds that in paragraph '7' thereof the disciplinary authority has reiterated the same and one finding which were there in the note of difference. Paragraph '7' is being reproduced hereunder :-

"7. श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मतव्य एवं श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान का समग्र समीक्षोपरांत यह पाया गया कि असहमति के प्रथम बिन्दु यथा अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन के संबंध में आरोपी के पत्नी के नाम से भूखंडो का क्रय 7-20 वर्ष पूर्व किया गया है, जबकि इनकी पत्नी के आय का ठोस साधन उक्त अवधि में उपलब्ध नहीं है तथा आयकर रिटर्न में भी इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जमीन क्रय करने के वर्ष में क्रेता का आयकर रिटर्न नहीं भरे जाने से आय का सत्यापन नहीं हो सका। फलतः क्रेता के आय का अप्रत्यानुपातिक निवेश के आलोक में समीक्षोपरान्त बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। असहमति के द्वितीय बिन्दु, श्री शर्मा की पत्नी के स्कूल से रु० 17,84,352/- का आय होना एवं स्कूल का कोई बैंक खाता नहीं होना के, संबंध में श्री शर्मा यह तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि एक अंग्रेजी स्कूल किड्स गार्डन का बैंक में खाता नहीं रहने के क्या कारण हो सकते हैं। असहमति के तृतीय बिन्दु अर्थात् कृषि योग्य जमीन की आय से संबंधित है। श्री शर्मा के नाम कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ 3.25 डेसीमल का आधा भाग का आय इनकी पत्नी के नाम है, जबकि वर्ष 2012-13 के उनके आयकर रिटर्न में कृषि आय शून्य दिखाया गया है। ऐसे स्थिति में कृषि आय के रूप में किया गया दावा समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। असहमति के चतुर्थ बिन्दु डेयरी से प्राप्त आय से संबंधित है, इस संबंध में श्री शर्मा द्वितीय बचाव बयान में तर्कसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। असहमति के पांचवे बिन्दु सम्पत्तियों का दोहरा मूल्यांकन से संबंधित है। इस संबंध में श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जब आरोपी पति एवं उसकी पत्नी अलग-अलग आयकर रिटर्न भरते हो तो पति का संयुक्त आय माना जाना गलत पाया गया।"

40. This Court finds from above that as regards valuation of the properties (note-1), there is no finding. This time the disciplinary authority came out with an observation that the properties were purchased about 7-20 years back whereas during this period the wife of the petitioner had no definite source of income, therefore, her income of the period during which the properties were purchased could not be verified. There is no consideration of the show-cause of the petitioner. On the note-2, again the relevant facts that the EOU Inspector had visited the school, collected the students' ledger and receipts etc. and verified the same from photocopies have not at all been considered. The total income from the school during the check period (25 years) has been allowed at Rs.14,53,560/-. If these are verified facts and have been accepted by the Inquiry Officer, it was definitely required to be considered by the disciplinary authority. Similar ignorance of the materials which were prima-facie relevant are found in paragraph 7 of the impugned order.

 

44. It is well settled that where a finding of fact has been arrived at without proper consideration of relevant materials and ignoring from consideration that matters which are prima-facie relevant, such finding become arbitrary and unsustainable.

46. This Court, finds that the impugned order (Annexure '19') suffers from the vice of non-consideration of the materials available on the record. The findings have been recorded in paragraph '7' of the impugned order by ignoring the show-cause of the petitioner. For all the reasons, Annexure '19' cannot sustain the test of law and is liable to be set-aside.

47. This Court further finds that the Petitioner had preferred a Review application. The Reviewing Authority has taken a view that there was no need to issue notice to the petitioner prior to passing of the impugned order under the Pension Rules but other aspects have not been gone into.

48. In result, the impugned orders as contained in Memo No.-329 dated 15.01.2020 (Annexure '19'), the order contained in Memo No.-977 dated 26.05.2020 (Annexure '21') and the review order as contained in Memo No.-546 dated 12.03.2021 (Annexure '34') are liable to be quashed and cancelled. Those are accordingly quashed.

49. The matter is remitted to the Disciplinary Authority for a fresh consideration after the stage of submission of the Inquiry Report. The Disciplinary Authority shall pass a reasoned order in accordance with law within a period of six months from the date of receipt/ production of a copy of this order. As a result of setting aside of the impugned orders, the petitioner will be at liberty to apply for grant of provisional pension which will be considered by the respondent within a reasonable period.

50. This writ application is allowed to the extent indicated hereinabove."

9. उक्त न्यायादेश के आलोक में तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त न्यायादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में श्री शर्मा से किये गये द्वितीय कारण पृच्छा में असहमति के बिन्दुओं को बिना किसी अभिलेखीय दस्तावेज/साक्ष्य के इसे वैधानिक नहीं माना गया है एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर नियमानुसार पुनः विचार करने का आदेश दिया गया है। उक्त परिस्थिति में जबकि श्री शर्मा के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की स्वतंत्रता माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो इस प्रश्नगत न्याय निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का कोई वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होने का मंतव्य तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया।

10. उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध निर्गत दंडादेश को

निरस्त करते हुए इन्हें नियमानुसार औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने तथा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय में निर्धारित अवधि के भीतर आदेश पारित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में CWJC No.-2974/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या-1395-सह- पठित ज्ञापांक-1396 दिनांक 05.06.2023 द्वारा श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधिसूचना संख्या-328-सह-पठित ज्ञापांक-329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त कर दिया गया। साथ ही इन्हें औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

12. संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अपर विभागीय जॉच आयुक्त) के जॉच प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा उल्लेख किया गया कि CWJC No.-2974/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पारित न्यायादेश में श्री शर्मा से किये गये द्वितीय कारण पृच्छा में असहमति के बिन्दुओं को किसी अभिलेखीय दस्तावेज/साक्ष्य के अभाव में इसे वैधानिक नहीं माना गया है एवं संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर नियमानुसार पुनः विचार करने का आदेश दिया गया है। अतएव आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा मामले में संचालन पदाधिकारी के आदेशित अंतिम निष्कर्ष पर उच्चस्तरीय निर्णय लिये जाने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग का भी मंतव्य प्राप्त किया गया। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने मंतव्य में संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अपर विभागीय जॉच आयुक्त) के निष्कर्ष से सहमत होने का उल्लेख किया गया।

13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अपर विभागीय जॉच आयुक्त) के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

14. अतः उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8
10/11/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

प्रति

File No. 07/18

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-50/2014 2402 /पटना, दिनांक :- 10-11-23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
10/11/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-50/2014 2402 /पटना, दिनांक :- 10-11-23

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार लोक सेवा आयोग/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर/पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता :- आदर्श बिहार कॉलोनी, रुकनपुरा, पोस्ट-बी0भी0 कॉलेज, पटना, पिन कोड-800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
10/11/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-50/2014 2402 /पटना, दिनांक :- 10-11-23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8
10/11/2023
विशेष सचिव

8